संख्या-12013/1/2005-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली ।
दिनांक:- 8 अप्रैल, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त संगठनों/निगमों आदि के कर्मचारियों को हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराना ।

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों तथा भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों आदि के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा और हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है । हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पाठ्य-पुस्तकें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों आदि के जो कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं, उन्हें भी हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रशिक्षण की समाप्ति पर वापस नहीं ली जाएंगी ।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय की दिनांक 11.3.2005 की टिप्पण डायरी संख्या- 10888/ ए.एस.एवं एफ ए (एच) द्वारा दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(एस.रमणन)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त संगठनों/निगमों आदि के ध्यान में लाएं) ।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. योजना आयोग, नई दिल्ली
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
7. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क ।
8. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो/संसदीय राजभाषा समिति/क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ।
9. गार्ड फाइल ।

(एस.रमणन)
अवर सचिव, भारत सरकार